आवश्यक/महत्वपूर्ण

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

1-तिलक मार्ग लखनऊ।

डीजी परिपत्र संख्या- 50/2016 दिनांकःलखनऊःअगस्त 17 ,2016

सेवा में,

1-समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक,उत्तर प्रदेश ।
2-समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।
3-समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद उत्तर प्रदेश।

विषयः मा0 उच्च न्यायालय में योजित होने वाली याचिकाओं के परिप्रेक्ष्य में समय से प्रतिशपथ पत्र दाखिल कराये जाने के सम्बन्ध में ।

.....

अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि याचिकाओं के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तरवार आख्या/प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने में अनावश्यक रूप से विलम्ब किया जा रहा है और प्रतिशपथ पत्र के समर्थन में सुसंगत अभिलेख भी प्रस्तुत नहीं किये जा रहे हैं । इसके अतिरिक्त प्रस्तरवार आख्या भी बड़ी सूक्ष्म होती है और उसमें सम्पूर्ण तथ्यों का समावेश नहीं होता है ,जिसके सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में भी कई बार टिप्पणी की जा चुकी है।

2- मा0 उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे प्रकरणों को बड़ी गम्भीरता से लिया जा रहा है और सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध अर्थदण्ड के आदेश भी पारित किये जा रहे हैं । उल्लेखनीय है कि समय से प्रतिशपथ पत्र प्रस्तुत न करने से न्यायिक प्रक्रिया में अनावश्यक विलम्ब होने के साथ-साथ मा0 न्यायालय में विभाग के समक्ष असहज स्थिति उत्पन्न होती है ।

3- अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ सभी विवेचना अधिकारियों/क्षेत्राधिकारियों को यह स्पष्ट कर दें कि वे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने में व्यक्तिगत रूचि लेकर उसे समय से मा0 उच्च न्यायालय में दाखिल करायें और प्रतिशपथ पत्र/प्रस्तरवार आख्या के समर्थन में विवेचना के दौरान एकत्रित सुसंगत अभिलेख अवश्यमेव प्रस्तुत किये जायें । इस ओर भी विशेष ध्यान दिया जाय कि मा0 न्यायालय में प्रस्तुत की जाने वाली प्रस्तरवार आख्याएँ विस्तृत तथा तथ्यात्मक हों जिससे मा0 न्यायालयों में विभाग का पक्ष स्पष्ट रूप से शपथ-पत्र के माध्यम से रखा जा सके।

17.8

(जावीद अहमद)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश ।